जालौन पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Operation Conviction

आर्म्स एक्ट के अभियोग में 05 अभियुक्तगण 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000-2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"OPERATION CONVICTION"** के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **05 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।**

थाना डकोर पर क्रमशः **पंजीकृत मु0अ0सं0 737/15, 759/15 धारा 4/25** आर्म्स एक्ट के अभियुक्तगण 1. दिनेश पुत्र जयराम निवासी ग्राम छिन्ना थाना मझगवां जनपद हमीरपुर 2. किशुन केवट पुत्र सुरेन्द्र केवट निवासी ग्राम कहटा थाना डकोर जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

थाना डकोर पर पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0 754/15, 756/15, 758/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्तगण पूरन राजपूत पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम मुहाना थाना डकोर, सुनील पुत्र बलराम एवं भूरा पुत्र प्रयागीलाल निवासीगण ग्राम छिन्ना थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को

माननीय न्यायालय (एडीजे प्रथम कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000-2,000/- रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री हृदेश पाण्डेय
ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 महेन्द्र प्रताप कोर्ट
मुहर्रिर

@jalaunpolice